

भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, दिनांक 05 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

विषय: मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

1.	सुश्री रचना शाह	अपर सचिव	अध्यक्ष
2.	सुश्री इन्द्राणी गुप्ता	निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
3.	डॉ. मैरी ई. जॉन	प्रोफेसर (महिला विकास अध्ययन केन्द्र की प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	श्री विकास श्रीवास्तव	अवर सचिव (प्रशा.-II)	सदस्य
5.	सुश्री सुनीता शर्मा	प्रधान निजी सचिव (एनएसीडब्ल्यूसी)	सदस्य
6.	सुश्री मेघा अरोड़ा	सहायक निदेशक (डीबीटी मिशन)	सदस्य
7.	सुश्री तृप्ति धूपर	निजी सचिव (डीपीजी)	सदस्य
8.	सुश्री नवकिरण नारंग	निजी सचिव {सचिव (सुरक्षा) का कार्यालय}	सदस्य
9.	सुश्री शीला पी.	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट	सदस्य
10.	सुश्री पूजा सिंघल	सहायक अनुभाग अधिकारी (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ)	सदस्य
11.	श्री अभिजीत गौरव	अनुभाग अधिकारी (प्रशा.-I)	सदस्य सचिव

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सौमित्र सहार

(सौमित्र सहार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23014224

प्रतिलिपि:

1. समिति के अध्यक्ष और सदस्य ।
2. डॉ. मैरी ई. जॉन, प्रोफेसर, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, 25, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 --- ई-मेल के माध्यम से।
3. निदेशक (प्रशासन), महिला और बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, मंत्रिमंडल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ कि यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय के इन्ट्रानेट और वेबसाइट पर अपलोड करें।